श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 1 वर्ष, अंक 49, पृष्ठ 4, मूल्य 1.00

अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज गुरूवार, 24 सितम्बर, 2020

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

यूपी में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी, लखनऊ व गोरखपुर में होगा परीक्षण

लेखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण लखनऊ और गोरखपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रायल उत्तर प्रदेश के इन दो शहरों में करने को मंजूरी दे दी। संजय गांधी पीजीआइ के निदेशक डॉ. आरके धीमन को लखनऊ का नोडल अधिकारी और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. गणेश कुमार को गोरखपुर का नोडल

अधिकारी बनाया गया है। कंपनी इस महीने के अंत या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर सकती है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) व राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) के साथ मिलकर यह पहला स्वदेशी टीका कोवैक्सीन तैयार किया है। फिलहाल दो चरण के ट्रायल किए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि तीसरे चरण का ट्रायल यूपी में लखनऊ व गोरखपुर में करने को मंजूरी दी गई है। इसमें इन दो संस्थानों के साथ-साथ और लोगों पर भी इसका परीक्षा किया जाएगा। ट्रायल के लिए जरूरी सुरक्षा व अन्य प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करवाने के लिए दो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।

टीका कोवैक्सीन के ट्रायल के तहत कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर व अन्य अलग-अलग उम्र के लोगों को टीका लगाया जाता है। टीका लगाने से पहले एंटीबाडी चेक की जाती है, अगर एंटीबाडी शून्य है तो टीका लगाया जाता है। फिर दोबारा खून के नमूने की जांच होती है, अगर एंटीबाडी बन रही है तो टीका काम कर रहा है। फिलहाल क्लीनिकल ट्रायल को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है।

बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का पहला टीका इस साल के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। डॉ. हर्षवर्धन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि हमारे कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों में से एक क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। हमें पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक एक वैक्सीन विकसित हो जाएगी।

यूपी में गैर कोरोना रोगियों के लिए आज से ओपीडी शुरू

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश भर के अस्पतालों में गुरुवार से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलते ही महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. डीएस नेगी की ओर से ओपीडी शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए। अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू होने पर अत्याधिक भीड़ न हो इसके लिए मरीज के साथ सीमित संख्या में ही तीमारदारों को प्रवेश दिया जाएगा । उत्तर प्रदेश भर के सभी मंडलों के अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व अस्पतालों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करवाएं। ऐसे में जिला अस्पताल, संयुक्त चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर मरीजों के साथ एक या बहुत आवश्यक होने पर दो तीमारदार ही अंदर जा सकेंगे।

सीमा पर भारतीय सेना के लिए 43 पुल बनकर तैयार, रक्षामंत्री आज देश को करेंगे समर्पित

नई दिल्ली, एजेंसी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज 43 पुलों को देश को समर्पित करेंगे। भारतीय सेना के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, अरणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में इन पुलों का निर्माण किया है। इन पुलों का उद्घाटन रक्षामंत्री राजनाथ सिह दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए करेंगे। इन पुलों का निर्माण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया गया है, जिसकी वजह से सैनिकों और हथियारों की त्वरित आवाजाही

सुनिश्चित करने में सशस्त्र बलों की मदद मिलेगी। इनमें से 10 पुल जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों, 7 पुलों का निर्माण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुआ है, जबकि 2 पुल हिमाचल प्रदेश, 4 पुल पंजाब, 8 पुल उत्तराखंड, 8 पुल अरूणाचल प्रदेश और 4 पुल सिक्किम में बनाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में विमानन कंपनियों का तर्क, रिफंड दिया तो कंपनियां भरभराकर गिर जाएंगी

नई दिल्ली, आइएएनएस। विमानन कंपनियों पर इतना अधिक वित्तीय दबाव है कि वे यात्रियों की बुकिंग रकम लौटाने में भी आनाकानी करने लगी हैं। हालांकि उस रकम के एवज में यात्रियों द्वारा भविष्य में कभी यात्रा करने का मौका देने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। विमानन कंपनियों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुर से दलील दी कि उनका राजस्व बहुत ज्यादा घट गया है। इसलिए उन पर यात्रियों को अनिवार्य रूप से रिफंड देने का दबाव नहीं बनाया जाए। इसके अलावा बहुत से यात्रियों ने खुशी-खुशी विमानन कंपनियों की यह पेशकश स्वीकार की है कि वे रिफंड योग्य रकम के एवज में भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। निजी विमानन कंपनी गोएयर की ओर से पेश वकील अरविंद दातार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विमानन कंपनियां भरभराकर गिर जाने के कगार पर हैं। ऐसे में यात्रियों को रिफंड देना अनिवार्य नहीं बनाया जाए। एयरएशिया व एयर विस्तारा की ओर से पेश वकील पिनाकी मिश्रा ने भी कहा कि विमानन निदेशक रिफंड के लिए दबाव नहीं डाल सकता। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दायर कर कहा है कि जिन यात्रियों ने लॉकडाउन की अवधि में टिकट बुक कराए, उन्हें तत्काल रिफंड मिलना चाहिए। वहीं, जिन लोगों ने लॉकडाउन से पहले टिकट बुक कराए, उन्हें रिफंड में ब्याज समेत लौटाने संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट से मिली कारोबारियों को राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कारोबारियों को राहत देते हुए उन्हें पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुसार पाकिस्तान से संबंधित माल पर कस्टम ड्यूटी चुकाने का आदेश दिया। इन कारोबारियों ने पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से सामान मंगवाया या भेजा था। सरकार ने इनके आयातित-निर्यातित सामान पर 200 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इसके विरोध में कारोबारी सुप्रीम कोर्ट आए थे।

14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके दो दिन बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने-जाने वाले (आयात-निर्यात) माल पर 200 प्रतिशत

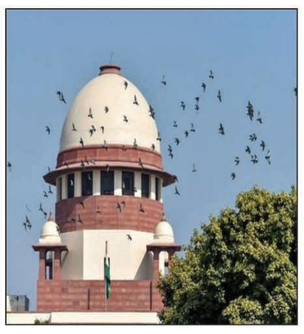

कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे नियमित कारोबार करने वाले कारोबारी परेशान हो गए और उन पर बड़ी देनदारी खड़ी हो गई। इसकी तुलना में खुले बाजार में आयातित माल का मूल्य मिलना मुश्किल हो गया। यही स्थिति निर्यात किए गए माल को लेकर पैदा हो गई। यह ड्यूटी उस माल पर भी लागू हुई जो 16 फरवरी को भेजा या मंगवाया गया था।

केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में कारोबारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट गए लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिल पाई। इसके बाद वे हाईकोर्ट के आदेश की अपील करने सुप्रीम कोर्ट आए। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र 200 प्रतिशत राजस्व वसूली की इस व्यवस्था को गलत माना। यहां पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते कारोबारियों को राहत दी और उन्हें पुरानी अधिसूचित दरों के अनुसार ही कस्टम ड्यूटी के भुगतान का आदेश दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस जोसेफ ने इस बाबत अलग-अलग आदेश दिए।

कोरोना की रोकथाम के लिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन के बजाय माइक्रो कंटनमेंट जोन की बताई जरूरत

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के साथ आर्थिक गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ खोलने पर बल दिया है। महामारी से सबसे अधिक प्रभावित सात राज्यों के हालात की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू करने की जगह माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सात राज्यों के सिर्फ 60 जिले ही चिंता का कारण हैं, जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में प्रभावी जांच, पहचान, उपचार, निगरानी और स्पष्ट संदेश के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों व प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के साथ संक्रमण के प्रसार को रोकने के साथ ही सामान्य गतिविधियों को भी बहाल रखने में मदद मिलेगी।

बुधवार को महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों

और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में कुल 700 से अधिक जिले हैं, लेकिन कोरोना से सबसे अधिक मामले सात राज्यों में 60 जिलों में सबसे अधिक हैं। जिलों में कोरोना को नियंत्रित करना इतना मुश्किल नहीं है। उनके अनुसार यदि मुख्यमंत्री एक हफ्ते तक हर दिन एक घंटे का समय निकालकर स्थानीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करें, तो निचले स्तर तक गंभीरता लाने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर देते हुए ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के सिस्टम को मजबूत करना की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमत्रियों से एक-दो दिनों के लिए लगाए जाने वाले लॉकडाउन पर पुनर्विचार करने को कहा। प्रधानमंत्री का कहना था कि ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिससे कोरोना को रोका भी जा सके और बाकि गतिविधियां भी सामान्य रूप से चल सके।

उन्होंने कहा कि सेवा और सामान की आवाजाही में रूकावट से सामान्य नागरिक को अनावाश्यक परेशानी होती है। इससे जनजीवन भी प्रभावित होता है और आजीविका पर भी असर पड़ता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से आक्सीजन की बिना रूकावट आवाजाही सुनिश्चित करने की भी अपील की।

ओबीसी आरक्षण 14 से 27 फीसद करने पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार

जबलपुर, जेएनएन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्यपीठ ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसद किए जाने पर पूर्व में लगाई गई अंतरिम रोक को बरकरार रखी है। इसी के साथ इस मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर तक बढ़ा दी गई। बुधवार को प्रशासनिक न्यायाधीश संजय यादव एवं जस्टिस बी. श्रीवास्तव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

अदालत ने राज्य शासन को चार याचिकाओं पर जवाब एवं याचिकाकताओंको प्रत्युत्तर देने के लिए समय प्रदान कर दिया। जबलपुर निवासी छात्रा आकांक्षा दुबे सहित अन्य की ओर से

अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राज्य शासन का आठ मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश अवैधानिक है। ओबीसी आरक्षण में संशोधन के कारण प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़कर 27 फीसद जबकि कुल आरक्षण का 50 से बढ़कर 63 फीसद हो गया है। सनद रहे सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के तहत 50 फीसद से अधिक आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। एक अन्य याचिका में कहा गया कि एमपीपीएससी ने नवंबर-2019 में 450 शासकीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में 27 फीसद पद पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित कर लिए। शांतिलाल जोशी सहित पांच छात्रों ने एक अन्य याचिका में कहा कि 28 अगस्त 2018 को मध्?य प्रदेश सरकार ने 15,000 उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षकों लिए विज्ञापन प्रकाशित कर भर्ती परीक्षा कराई।

बीते 20 जनवरी 2020 को सरकार ने इन पदों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू करने की नियम निर्देशिका जारी कर दी थी। अधिवक्ता ब्रह्मेन्द्र पाठक, शिवेश अग्निहोत्री, रीना पाठक, राममिलन ने दलील दी थी कि भर्ती प्रक्रिया 2018 में आरंभ हुई लेकिन राज्य सरकार ने 2019 का अध्यादेश इसमें लागू किया जो अनुचित है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण 14 फीसद से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का अध्यादेश 19 मार्च 2019 में स्थगित कर चुका है।

ऐसे में किसी भी सरकारी भर्ती या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया में 14 फीसद से अधिक ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, प्रमेंद्र सेन जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव मौजूद रहे।

कैग ने कहा- स्कूलों में 11 फीसद शौचालयों का अता-पता नहीं, 30 फीसद उपयोग में नही

नई दिल्ली, प्रेट्र। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा स्कूलों में निर्मित शौचालयों के ऑडिट में पाया गया कि उनमें से 11 प्रतिशत या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर उनका आंशिक निर्माण ही हुआ है। वहीं 30 प्रतिशत साफ-सफाई, पानी नहीं होने जैसे विभिन्न कारणों से उपयोग में नहीं हैं।

कैग की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर तैयार की गई रिपोर्ट को बुधवार को संसद में पेश किया गया। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सितंबर, 2014 को 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' की शुरूआत की थी और इस संदर्भ में अन्य मंत्रालयों से सहयोग की अपील की। इसके लिए दूसरे मंत्रालयों से अपने-अपने नियंत्रण में आने वाले सीपीएसई से सरकारी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को लेकर परियोजना में शामिल होने के लिए कहने का आग्रह किया था।

मंत्रालय के अनुसार, 53 सीपीएसई ने इस परियोजना में हिस्सा लिया और 1,40,997 शौचालयों के निर्माण किए गए। कैग ने कहा कि बिजली मंत्रालय, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के अधीन आने वाले सीपीएसई ने पांच-पांच हजार शौचालय बनाए। इन उपक्रमों ने कुल मिलाकर 1,30,703 शौचालयों का निर्माण किया जिस पर 2,162.60 करोड़ रुपये खर्च आया। कैग ने एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, पीएफसी, आरईसी, ओएनजीसी और कोल इंडिया द्वारा निर्मित शौचालयों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। साथ ही 15 राज्यों में 2,048 स्कूलों में निर्मित 2,695 शौचालयों का वहां जाकर सर्वे भी किया गया। शेष 2,612 शौचालयों में से 200 शौचालय संबंधित स्कूलों में नहीं मिले। वहीं 86 शौचालय आंशिक रूप से निर्मित पाए गए। सर्वे में शामिल कुल शौचालयों में से नहीं बने और आंशिक रूप से निम्नमत शौचालयों की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत है। कैग के अनुसार, सर्वे में शामिल कुल 1,967 स्कूल ऐसे थे जिनमें लड़के-लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। इनमें 99 स्कूलों में शौचालय चालू नहीं थे जबकि 436 स्कूलों में केवल एक शौचालय परिचालन में था। कैग के अनुसार सर्वे में शामिल 2,326 निर्मित शौचालयों में से 691 (30 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हो पा रहा था। कैग के सर्वेक्षण के मुताबिक 2,326 निर्मित शौचालयों में से 1,679 (72 प्रतिशत) में शौचालय के अंदर पानी की सुविधा नहीं थी। वहीं 1,279 (55 प्रतिशत) में हाथ धोने की सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही कई शौचालयों का निर्माण नियमों के अनुरूप ठीक से नहीं किया गया था जिससे उनका प्रभावी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था।

लखनऊ में 30 दिन में 50 भूमाफियाओं पर चार्जशीट दाखिल

लखनऊ [शोभित मिश्र]। कमिश्नरी पुलिस ने 30 दिन के भीतर 50 भू-माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कस दी है। सभी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। इसके अतिरिक्त भू-माफियाओं की 6.50 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। इसके लिए महीनेभर पहले ही भू-माफिया सेल का गठन किया गया था। 20 विवेचकों की टीम ने किया काम-भूमाफियाओं के अभियान के लिए ज्वाइंट सीपी नीलाब्जा चौधरी के अंडर में 20 तेजतर्रार विवेचकों की टीम बनाई गई थी। जिन्होंने समय से विवेचना पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने में अहम भूमिका निभाई। विवेचकों की मदद में 12 दरोगाओं की अलग से ड्यूटी लगाई गई थी। इन पर हुई कार्रवाई- कोतवाली काकोरी से जगत नारायण, राजकुमार, कल्लू, कृपा शंकर, राजेन्द्र, इंद्रजीत, इतवारी, श्री कृष्ण, भगवानदीन, चीता, रीता, सौरभ, 1 अज्ञात युवती। कोतवाली मडियांव से हजमत अली, मो.इकबाल, बाबूलाल कोतवाली सरोजनीनगर सेवगगन मिश्रा, शहजादे कोतवाली नगराम से विक्रम, अनीश, बबलू, दिनेश उर्फ बोरा, मदन कोतवाली गोसाईंगंज से मैनावती बंथरा..अशोक यादव, अभिषेक मिश्रा, महेश साहू कोतवाली पीजीआई से सुभाष साहू, केशव साहू कोतवाली .सुशांत गोल्फ सिटी से विनोद कुमार कोतवाली.चिनहट से अशोक गोयल, जितेंद्र, मुन्नीलाल, नरेश अग्रवाल गोमतीनगर विस्तार से .रामसागर, परशुराम, कृष्ण मुरारी, देवेंद्र, शिवनंदन, मनीष, सहजराम यादव, तारा सिंह, राम स्वरूप, शिवकुमार, टिंकू सिंह उर्फ विनय कुमार सिंह, बबिता द्विवेदी अमीनाबाद से पवन उर्फ पंकज पटेल गुडंबा से चरन.. मोहनलालगंज से अमरेश अग्रवाल ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि 30 दिन के भीतर 50 भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। 6.50 करोड़ की उनकी संपत्ति जब्त की गई है।

रिया-शौविक चक्रवर्ती की जमानत पर सुनवाई टली, भारी बारिश के कारण कोर्ट बंद

मुंबई, एएनआइ। अभिनेता सुशांत की संदिग्ध मौत से जुड़े ड्रग केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। रिया और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका पर आज बांबे हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जलजमाव की वजह से आज कोर्ट को बंद किया गया है।

रिया की 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद मंगलवार को उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विशेष एनसीबी अदालत के सामने पेश किया गया था। एनसीबी अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत छह

अक्तूबर तक बढ़ा दी है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे ने बताया कि बांबे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शहर में गंभीर जलभराव की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट के लिए आज अवकाश घोषित किया है। विशेष एनसीबी अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने जमानत के लिए बांबे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस याचिका पर न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल सुनवाई करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से आज के सभी मामले अब कल सुने जाएंगे।

बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त करने का आरोप है। रिया और शौविक ने एनसीबी की पूछताछ में कबूल किया था कि वे सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करते थे। रिया और शौविक की कई ड्रग्स पेड्लर्स के साथ हुई बातचीत का खुलासा भी हुआ है। इस मामले में एनसीबी अब तक कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन मामले में एनसीबी इसी सप्ताह फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इनमें अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर एवं फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का माम शामिल है। अब तक गिरफ्तार किए गए करीब 19 लोगों से पूछताछ एवं कुछ वाट्सएप चैट में इनके नाम सामने आए हैं।

एनसीबी ने दीपिका, श्रद्धा, रकुलप्रीत और सारा अली खान को समन भेजा

राज्य ब्यूरो, मुंबई। आज के दौर की चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित चार अभिनेत्रियों को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका से 25 को मुंबई के एनसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी।

बुधवार को एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह एवं दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन दे दिया है। दीपिका को एनसीबी के एक अधिकारी ने गोवा जाकर यह समन दिया। इस कड़ी में सबसे पहले रकुल प्रीत सिंह से 24 सितंबर को पूछताछ होगी। 25 को दीपिका पादुकोण से एवं 26 सितंबर को सारा अली खान एवं श्रद्धा कपूर से एनसीबी के बेलार्ड एस्टेट स्थित कार्यालय में पूछताछ होगी। कल तक दीपिका के मुंबई लौट आने की उम्मीद है।

इस बीच दीपिका पादुकोण ड्रग्स मामले में अपना नाम घसीटे जाने का ठीकरा अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश एवं रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा पर फोड़ती दिखाई दीं। इस मामले का खुलासा वास्तव में जया साहा एवं रिया चक्रवर्ती की पुरानी वाट्स एप्प चैट से हुआ था, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में कर रहा था।

जया से पूछताछ के बाद अब इस कड़ी में एक के बाद एक कई नाम जुड़ते जा रहे हैं, जिनमें दीपिका, सारा, श्रद्धा जैसी चर्चित अभिनेत्रियां भी शामिल हैं। एनसीबी को इनके नाम भी विभिन्न वाट्स एप्प चैट्स के जरिए ही पता चले हैं। जिनकी पुष्टि जया साहा सहित कई अन्य लोगों से पूछताछ में करने के बाद ही इन चर्चित अभिनेत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जया साहा के साथ ड्रग चैट में नाम सामने आने पर एनसीबी ने मधु मंटेना को समन भेजा था। मंगलवार को जया साहा के साथ-साथ एक टैलेंट कंपनी के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर से एजेंसी ने पूछताछ की। एनसीबी ने मंगलवार को टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान (केडब्ल्यूएएन) के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर को पूछताछ के लिए बुलाया। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश इसी कंपनी में काम करती है। एनसीबी ने करिश्मा को भी बुलाया था। उसने अपने वकील के माध्यम से मंगलवार को एनसीबी के सामने उपस्थित रह पाने में असमर्थता जाहिर की, लेकिन सुशांत की पूर्व टैलेंट मैनेजर जया साहा मंगलवार को एनसीबी कार्यालय में मौजूद थी। जया एवं श्रुति मोदी से एनसीबी ने सोमवार को भी पूछताछ की थी। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया कि बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन मामले में इसी सप्ताह अभिनेत्री सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर एवं फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब तक गिरफ्तार किए गए करीब 19 लोगों से पूछताछ एवं कुछ वॉट्सऐप चैट में इनके नाम सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार, करिश्मा प्रकाश से पूछताछ के बाद जरूरत हुई तो दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेज सकता है। बता दें कि इन सितारों के ड्रग रैकेट में शामिल होने की जानकारी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच के दौरान मिली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सुशांत की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती और उसकी टैलेंट मैनेजर जया साहा की वॉट्सऐप चैट सामने आई। इसी चैट से एक के बाद एक बॉलीवुड की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत एवं सैमुअल मिरांडा सहित अब तक 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें बॉलीवुड में नशीले पदार्थो की खुदरा खरीद-फरोख्त करनेवाले भी शामिल हैं। इन सबसे पूछताछ में बॉलीवुड के कई चर्चित नाम सामने आ चुके हैं।

ग्रामीण अंचल

प्रयागराज गुरूवार, 24 सितम्बर, 2020

दूसरे दिन भी प्रशासन ने अधिग्रहीत जमीन पर बने मकान को ढहाया

करछना। रेल चौड़ीकरण को लेकर तहसील क्षेत्र के कचरी गाव मे बन रहे फोरलेन कारीडोर परियोजना मे अधिग्रहित की गई जमीन पर बने मकानो को राजस्व टीम ने पुलिस के साथ बुधवार को भी मकान गिराने की कार्यवाही की गई जबकि कुछ किसान मुआवजा न मिल पाने से मकान नही गिरने दिया। कचरी गांव के कुछ किसान रेलेव मे अधिग्रहित जमीन और मकान का मुआवजा पाने के बावजूद रेलवे विभाग द्धारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अपने मकानो को खाली नही कर रहे थे जिससे रेलवे के अधिकारी ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुचकर अधिग्रहित की जमीन मे बने मकानो को जेसीबी लगाकर गिरवा दिया गया।बताया जाता है कि उक्त गाव मे 16 लोगो के मकान अधिग्रहण के दायरे मे आया था जिसमे विभाग द्वारा सभी को मुआवजा दिया गया लेकिन किसानो का आरोप है कि सर्किल रेट से भुगतान किया गया है जबकि किसान आवासीय रटे से मुआवजे की माग कर रहे है।टीम को देखते ही लोग घरो से अपने सामान को बाहर निकाला और लोगो ने कार्यवाही के प्रति एतराज नही किया।

पिता की डांट से क्षुब्ध किशोर ने लगाई फांसी

जसरा। घूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुदांवा के शिवपुरी कॉलोनी जसरा में पिता की डांट से नाराज एक किशोर ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोर की मौत से घर में मचा कोहराम।

अशोक कुमार सिंह बारा थाना क्षेत्र के परसरा गांव के निवासी हैं तथा इस समय बुदांवा गांव के शिवपुरी कॉलोनी में मकान बनाकर रहते हैं। इस समय वह अपने पैतृक गांव परसरा में किसानी करते हैं। मंगलवार की शाम अशोक कुमार सिंह ने अपने पुत्र प्रियांशु उर्फ गोलू 14 वर्ष को किसी बात को लेकर डांट फटकार दिया। उसी दिन मंगलवार की देर रात प्रियांशु सिंह ने पंखे के सहारे साड़ी का फंदा लगाकर फांसी लगा ली । घर में उस समय प्रियांशु के साथ उसकी मां शकुंतला देवी मौजूद थी। देर रात जब उसकी मां की नींद खुली तो प्रियांशु सिंह बिस्तर पर नहीं था। जब कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बगल के कमरे में शकुंतला देवी ने देखा तो उसके होश उड़ गए। प्रियांशु पंखे के सहारे फांसी पर लटका हुआ था। आनन-फानन में घर के सभी सदस्यों को फोन से सूचित किया गया। बुधवार की सुबह परिजनों ने घूरपुर के गौहनिया चौकी इंचार्ज शिव प्रताप सिंह को सूचना दी । सूचना पाकर चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मृतक किशोर का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज भेज दिया । वहीं गोलू सिंह के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि प्रियांशु ने इसी वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। जिसमें वह फेल हो गया था। इसके बाद वह घर में उदास रहता था।

मासू के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती पुलिस

प्रियांशु तीन भाइयों में था सबसे छोटा

अशोक सिंह के तीन बेटा और एक बेटी थी जिसमें दो बड़े भाई कहीं बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं । तीनों भाइयों में गोलू सिंह सबसे छोटा था। पिता अशोक सिंह ने बताया कि बेटा प्रियांशु उर्फ गोलू हमेशा हमारे आगे पीछे ही लगा रहता था।

मां का रो-रोकर हाल बेहाल

गोलू सिंह की मौत से पागल हो मां दहाड़े मार मारकर रो रही थी। मां यही कहती कि हमारे कलेजे के टुकड़े को अब कहाँ पाऊंगी।

मऊआइमा में फिर पाए गए दो कोरोना पाजिटिव

मऊआइमा। मऊआइमा में कोरोना का कहर निरंतर जारी है। मिली खुली छूट के कारण गांव गांव संक्रमण फैलता जा रहा है टेस्टिंग के बाद एक युवक तथा एक युवती कोरोना पाजिटिव पाए गए हैं। मऊआइमा में कोरोना से ग्राम पंचायत अधिकारी की मौत से कोई सीख न लेकर न लोग मास्क लगा रहे हैं न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं । जिससे संक्रमण फैलता जा रहा है । बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में टेस्टिंग के बाद ग्राम महमदपुर सराय अली निवासनीय एक 25 वर्षीय विवाहिता कोरोना पाजिटिव पायी गयी है। इसी प्रकार मऊआइमा कस्बा के मोहल्ला नया पूरा (तीन बत्ती)निवासी एक 26 वर्षीय युवक कोरोना पाजिटिव मिले हैं सभी को होम क्वालंटाइन कर दिया गया है ।बता दें इसके पूर्व मऊआइमा कस्बा स्थित एक नर्सिंग होम के संचालक डाक्टर कोरोना से संक्रमित थे। बताया गया है कि वह अपनी बीमारी छिपा कर बाकयदा मरीज देख रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर वह पहले प्रयागराज शहर के अस्पतालों का चक्कर काटे जहाँ डाक्टरों ने जवाब दे दिया तो उस डाक्टर को लखनऊ वेंटिलेटर पर रखा गया है। बताते हैं कि जहां डाक्टर की हालत स्थिर बनी हुई है । बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं जिससे कोरोना गांवो में पूरा पांव पसार लिया है ।

महिलाओं के भिड़ने के दौरान गोद से गिरा मासूम की मौत का आरोप

घूरपुर। थाना क्षेत्र के कंजासा गांव में दो दिन पूर्व किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास के मामले में बुधवार के दिन नया मोड़ ले लिया है। आरोपी पक्ष ने पीड़िता पक्ष के परिजनों के उपर मारपीट के दौरान मासूम के जमीन पर गिरने से हुई मौत का आरोप लगा हंगामा किया है और दर्जनों की संख्या में थाने पहुंच महिलाओं ने थाने में शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने मासूम के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। कंजासा गांव में रविवार की शाम शौच गई एक किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। मामले की शिकायत पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ घूरपुर पुलिस से सोमवार के दिन की थी । पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कई बार उसके घर जाकर दबिश दी लेकिन वह पकड़ में नही आया । इधर मंगलवार की रात आरोपी पक्ष के परिजनों ने घूरपुर थाने पहुंच किशोरी पक्ष के ऊपर मारपीट के दौरान अपनी दादी गीता के गोद से गिरे मासूम आर्यन दो वर्ष पुत्र अजय कुमार निषाद को लगी चोट के चलते इलाज के दौरान मौत हो जाने की शिकायत की है । पुलिस मासूम के शव को अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़िता किशोरी के पक्ष के भी कई महिलाएं थाने पहुंच मासूम की मौत बीमारी से होने की बात कही और कहा की दुष्कर्म का आरोपी पेशबंदी कर समझौते का दबाव बना रहा है। थाने पहुंच दोनों पक्ष देर शाम तक एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए थाने में डटे रहे। उधर पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मासूम के मौत कारण स्पस्ट होगा ।उधर दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन दुष्कर्म के प्रयास का मामला तीन होने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा नही दर्ज किया। इसे लेकर लोगों में असंतोष भी है।

मासूम के शव के पास रोते बिलखते परिजन

दो दिनों से हो रही बारिश से किसानो के चेहरे खिले

करछना। कई दिनो के बाद क्षेत्र मे बारिश न होने से जहा फसले सूखने लगी थी और किसान नहर और बिजली के भरोसे फसल को बचाने मे लगे थे लेकिन वही मौसम दो दिन से रूक रूककर बारिश के दौरान किसानो के चेहरे मे एकबार रौनक लौट आई है। बुधवार को भी झमाझम बारिश होने किसानो मे जहा खुशी व्याप्त रही वही सड़को पर जल जमाव के चलते राहगीरो को फजीहत उठानी पडी। जिससे उनकी आशाओ पर फिरता पानी हट गया और किसान उम्मीदो के सहारे बारिश होने से एकबार फिर खुश नजर आने लगे।बता दे कि करछना क्षेत्र मे औसतन कम बारिश होने के कारण धान की फसलो पर इसका बुरा असर पड रहा था जिसे किसी तरह किसान अपने अथक प्रयास नहरो व अन्य ससाधनो से धान की फसल को जिदा रखा। किसानो का मामना है कि इस बारिश से धान की फसल मे बालिया आ रही वही प्रकृति का पानी बरदान साबित होगा और अच्छी फसल की पैदावार होने की आस बढ गई है।

हाईकोर्ट समाचार

अधिक गृहकर एरियर की वसूली पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस निवासी छेदी लाल पांडेय से एक लाख 33 हजार रुपये से अधिक गृहकर एरियर की वसूली पर रोक लगा दी है तथा नगर निगम प्रयागराज से जवाब तलब किया है। याची ने नगर निगम द्वारा वसूली नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि वह नियमित रूप से नगर निगम के करों का भुगतान करता है। इस बार उसे जो बिल भेजा गया है वह 23 हजार 853 रुपये का है। मगर इसके साथ ही उसे एक लाख 33 हजार 147 रुपये के एरियर का बिल भी नगर निगम ने भेजा है। नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य का कहना था कि याची को भेजे गए नोटिस से ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अतिरिक्त निर्माण करवाया है। इसलिए एक अप्रैल 2014 से एरियर जोड़कर बिल भेजा गया है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए नगर निगम से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने और याची को एक सप्ताह में उसका प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान यदि याची 23,853 रुपये दस दिन के भीतर जमा कर देता है तो उसके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किया जाय।

दहेज हत्या के आरोपी सास, ससुर व देवर की जमानत मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी सास व देवर की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय द्वारा लगाया गया जुमार्ना एक माह के भीतर याचीगण जमा करेंगे। ऐसा न करने पर जमानत स्वतः निरस्त हो जायेगी। सत्र न्यायालय झाँसी ने 10 साल की कैद व जुमार्ने की सजा सुनाई है। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गयी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने रवि व श्रीमती देवी की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील को सुनवाई के लिए सवीकार करते हुए दिया है। अपील पर जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को दो बार जवाब दाखिल करने का समय दिया था, किन्तु जवाब दाखिल नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई करते हुए आरोपी देवर व सास को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। रवि के भाई श्याम की शादी 24 फरवरी 12 को गुडिया उर्फ ज्योति के साथ हुई थी।शादी के एक साल दो माह में ज्योति जल गयी।अस्पताल में उसकी मौत हो गयी। इसके बाद दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। सत्र न्यायालय ने 10 साल की कैद व 9 हजार प्रत्येक पर जुमार्ने की सजा सुनाई है।

दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा पाए अभियुक्त बरी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा पाए सहारनपुर के गुरुप्रीत उर्फ सोढ़ी और बलबींद्र उर्फ बग्गा को आरोप साबित न होने के आधार पर बरी कर दिया है। दोनों को सहारनपुर की जिला अदालत ने 2010 में उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। अपील पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन, अभियुक्तों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा है। घटना की तारतम्यता भी साबित नहीं की जा सकी है। जिससे अभियुक्तों को झूठा फंसाने की संभावना खारिज नहीं होती है। सेशन कोर्ट और अभियोजन ने बचाव पक्ष के साक्ष्यों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया है। मामले के अनुसार पीड़िता के पिता ने दस जून 2009 को सहारनपुर कोतवाली नाखुद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात जून को रात करीब आठ बजे पीड़िता खेत की ओर गई थी। उसी समय अभियुक्त गुरुप्रीत और दो अज्ञात लोग उसका मुंह दबाकर गन्ने के खेत में उठा ले गए और दुष्कर्म किया। होश में आने पर पीड़िता ने अपने को गांव से छह सात किलोमीटर दूर पाया। उसने अपने गांव के संजय को फोन कर जानकारी दी। संजय उसे वापस गांव ले आया। पीड़िता ने अभियुक्त बलबींद्र की पहचान घटना के आठ दिन बाद की जब वह गुरुप्रीत से मिलने उसके घर आया था। पीड़िता के मेडिकल परीक्षण में डाक्टर ने दुष्कर्म को लेकर कोई निश्चित राय नहीं दी थी। कोर्ट ने अपील पर विचार करने के बाद कहा कि पीड़िता के बयान में कई विरोधाभास हैं। अभियोजन घटना से जुड़े सभी तथ्यों को साबित करने में नाकाम रहा। प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब, पीड़िता को घटनास्थल से दूर के गांव में पहुंचना, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म को लेकर निश्चित राय न होना जैसे तमाम तथ्य घटना को संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए रिहाई का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट 25 सितंबर को सेनेटाइजेशन के लिए बंद

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ 25 सितंबर को बंद रहेगी। इस दिन मुख्य न्यायाधीश अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई करेंगे। अन्य अदालतें नही बैठेगी। इस दिन न्यायालय परिसर का पूरी तरह से सेनेटाइजेशन किया जायेगा। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने यह आदेश प्रयागराज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिया है। इसकी जानकारी महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने दी है।

कोविड 19 के दौर में भी बीपीसीएल ने निभाई जिम्मेदारी

नैनी। भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड (बीपीसीएल) नैनी ने ओएनजीसी मेहसाणा को दो प्लंजर पंपों की पहली खेप बेहद कम समय में डिस्पैच करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, वो भी कोरोना काल में। गुजरात प्रांत के उत्तरी संथाल में ओएनजीसी मेहसाणा सेट में स्थापित किए जाने वाले इन पंपों को मंगलवार को बीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों और कामगारों की मौजूदगी में मुख्य महाप्रबंधक रतन प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।दिसंबर 2019 में बीपीसीएल को उक्त कंपनी से चार प्लंगर पंप की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ था। जो पहले एक निजी क्षेत्र के पंप निमार्ता को मिला था। बाद उस कंपनी का आर्डर रद्द कर मूल्य से अधिक कीमत पर 291 लाख रुपए में बीपीसीएल को दिया गया, जो बीपीसीएल उत्पादन के गुणवत्ता का प्रमाण है। यह आदेश जापानी कंपनी मेसर्स तोशिबा वाटर साल्यूशंस से प्राप्त हुआ था। जो ओएनजीसी में एक ठेकेदार हैं। महाप्रबंधक रतन प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 प्रभाव के बावजूद पहले दो पंपों को रिकॉर्ड समय में आपूर्ति की गई है। बाकी बचे दो पंप भी एक महीने के भीतर डिस्पैच करने के लिए तैयारी है। पंपों की डिलेवरी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान सीजीएम ने कोविड-19 महामारी के बावजूद पंपों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

विकास मिश्रा बने हिन्दू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष

फूलपुर के सांवडीह स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पदाधिकारियों ने की बैठक

फूलपुर। कार्यकारिणी के गठन के साथ ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर परिचर्चा के लिए हिन्दू जागरण मंच की एक बैठक सांवडीह स्थित महाकालेश्वर धाम मंदिर में बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में भोजपुरी गायक विकास मिश्रा को गंगापार का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल काशी प्रान्त के संगठन मंत्री अश्विनी शुक्ला ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने की अपील की। इस मौके पर बृजेश, चन्द्रजीत यादव, भाजपा नेता रोहित केशरी, रूद्र प्रताप, चंचल शुक्ला, रत्नेश यादव, दीपक केशरी, नव नियुक्त सभासद राय साहब केशरी, धीरज मिश्रा, एडवोकेट अनिल मिश्रा, रविन्द्र मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए वरिष्ठ समाजसेवी धीरज मिश्रा

काम नहीं आया एडीओ पंचायत का आश्वासन, भाकियू का प्रदर्शन जारी

शंकरगढ़। विकास खंड शंकरगढ़ के ग्राम बंधवा में सरकारी धन के दुरुपयोग सहित कई अन्य मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन (भानु) द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। भाकियू का आरोप है कि बंधवा ग्राम सभा में कराए गए कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।कायाकल्प के तहत विद्यालय के सौंदर्यीकरण में आया पूरा पैसा गबन कर लिया गया है। विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार में अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान बंधवा गांव में तीन दिन से धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मांग की है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय तथा अन्य कार्यों का भौतिक निरीक्षण कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कर्यवाही की जाय। प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प के तहत विद्यालयों को सौदर्यीकरण में गबन किए गए धन की जांच की जाए, अधूरे पड़े आवास की जांच कर दोषियों पर करवाई की जाय।वहीं आरोप लगाया गया कि ग्राम के एक व्यक्ति के पट्टे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, उसे मुक्त कराया जाए। धरने के दूसरे दिन एडीओ पंचायत ओम प्रकाश पांडेय ने पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया कि आपकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन किसान नहीं माने और आंदोलन जारी रहा।

प्रदर्शन करते भाकियू के कार्यकर्ता

जेल से छूटे 11 सपा कार्यकर्ताओं का हुआ जोरदार स्वागत

नैनी । 21 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानो, बेरोजगारों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित धरना देने में गिरफ्तार 11 सपा कार्यकर्ताओं को बुधवार को जमानत मिल गई। बाहर आने वाले सपा कार्यकर्ताओं का पार्टी कार्यकताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बताते चलें कि 21 जून को प्रदेश में व्याप्त तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी तहसील स्तरिय आंदोलन में भाग लेने के लिए जिला मुख्यालय पर आयोजित धरने में शामिल होने जा रहे ११ सपाईयों को ज्ञापन देने से पूर्व एसपी सिटी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सपा नेता मयंक यादव 'जोंटी' समेत 11 कार्यकताओं की बुधवार को रिहाई हो गई। महानगर मीडिया प्रभारी सैयद मो. अस्करी ने बताया की जमानत के पश्चात नैनी सेंट्रल जेल से रिहाई होने पर सभी का जोरदार स्वागत हुआ। महानगर अध्यक्ष एडवोकेट इफ्तेखार हुसैन, महानगर महासचिव एडवोकेट रवींद्र यादव रवि, अखिलेश गुप्ता गुड्डू, राघवेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव, अविनाश विद्यार्थी, राहुल पटेल ने सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष योगेश यादव ने सभी का स्वागत कर बधाई दी व संघर्ष के जज्बे की सराहना की।

प्रयागराज हलचल

प्रयागराज गुरूवार, 24 सितम्बर, 2020

संक्षेप समाचार

राशन कार्ड पर मिलेगा दो किलो चना

प्रयागराज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को इस महीने दो किलो चना मुफ्त मिलेगा। अगस्त में चने की उठान नहीं होने के कारण कार्ड धारकों को चने का वितरण नहीं किया गया था। सितंबर में उठान होने के कारण अगस्त और सितंबर माह का चना एक साथ वितरित किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान योजना के तहत समस्त राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन और एक कार्ड धारक को एक किलो चना देने का नियम बनाया गया है। ऐसे में कार्ड धारकों को दो माह का दो किलो चना एक साथ दिया जाएगा। अगस्त में चने की उठान न होने के कारण सितंबर में अगस्त का भी चना कोटेदारों को वितरित करने के लिए दिया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि नियम के अनुसार प्रत्येक कार्ड धारक को मुफ्त चना दिया जाएगा, जिस भी सरकारी राशन की दुकान पर चने का वितरण दो माह का नहीं होगा।

मण्डलायुक्त युनाइटेड हॉस्पिटल पहुंचकर ली जानकारी, दिया निर्देश

निर्धारित रेट के अनुसार ही मरीजों से लिया जाय चार्ज : मण्डलायुक्त

प्रयागराज। मण्डलायुक्त आर. रमेश कुमार ने बुधवार को कोविड 19 के रूप में चयनित किए गए युनाइटेड हॉस्पिटल पहुंचकर वहां भर्ती मरीजों की स्थिति एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

युनाइटेड हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में आईसीयू में कोविड के कुल 37 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में कुल 200 बेडों की व्यवस्था है, जिसमें से वर्तमान समय में 48 बेड आईसीयू के है। मण्डलायुक्त ने अस्पताल में आईसीयू बेडों की संख्या को और बढ़ाये जाने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि प्रत्येक बेड के लिए निर्धारित मानक के अनुसार चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था रहे। उन्होंने कोविड मरीजों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने अस्पताल में प्रतिदिन कितने मरीज वेंटीलेटर पर रहते है, कितने मरीज ऑक्सीजन पर रहते हैं और प्रतिदिन कुल कितने कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं, इसकी सूचना प्रतिदिन प्रेषित करने के लिए कहा। मण्डलायुक्त ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल के लिए कोविड मरीजों हेतु जो रेट निर्धारित किया गया है, मरीजों से वही लिया जाये। उन्होंने मरीजों को रेफर करने के बारे में कहा कि यदि मरीज को एल-3 या अन्य किसी बड़े सेंटर पर रेफर करने की आवश्यकता प्रतीत हो तो ऐसे मरीज को समय से रेफर कर दिया जाये। किसी भी दशा में मरीज की स्थिति गम्भीर न होने दिया जाये। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों के परिजनों को नियमित रूप से मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जाती रहे। अस्पताल में वेंटीलेटर, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहे और मरीजों की देखभाल में कोई कमी न हो। इस अवसर पर अपर आयुक्त भगवान शरण, अपर निदेशक स्वास्थ्य सहित अस्पताल के अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे।

यूनाइटेड हास्पिटल में निरीक्षण के दौरान जानकारी लेते मण्डलायुक्त

लोक सेवा आयोग में कई पदों का परिणाम घोषित

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को शोध अधिकारी, प्रवक्ता मनोविज्ञान एवं प्रवक्ता आटो अभियंत्रण का परिणाम घोषित कर दिया है।

आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव ने बताया है कि उ.प्र उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत शोध अधिकारी (श्रेणी 2) अनारक्षित श्रेणी के एक पद पर चयन हेतु 18 सितम्बर 2020 को लिए गये साक्षात्कार में सचिन कुमार सिंह को उपयुक्त पाते हुए नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया है।

उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार इसी प्रकार विज्ञापन सं. 05/2016-17 एवं शुद्धि पत्र सं. 1/2017-18 विभाग सं. एस 3/23 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग उ.प्र के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता मनोविज्ञान के 31 पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु 15, 16, 17 व 18 सितम्बर 2020 को आयोग द्वारा साक्षात्कार लिया गया। जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया है।

इसी क्रम में आयोग के उप सचिव लखन लाल शिवहरे के अनुसार विज्ञापन सं 1/2014-15 विभाग सं. एस-12/21 द्वारा विज्ञापित प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन किये जाने हेतु आयोग द्वारा 18 सितम्बर 2020 को आयोजित साक्षात्कार में निशा शर्मा, दुर्गेश सिंह भदौरिया, अंकुर वर्मा एवं सतीश नामदेव को उपयुक्त पाते हुए नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया है।

जर्जर मकान की छत गिरने से एक की मौत, तीन घायल

प्रयागराज। शाहगंज थाना क्षेत्र के नकाशकोना हम्मामगली में मंगलवार की देर रात जर्जर मकान की छत गिरने से एक युवती की मौत हो गई। हादसे उसकी समेत तीन लोग घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। शाहगंज के नकाशकोना हम्माम गली निवासी कमर जहां पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद उमर अपनी तीन बेटियों सभा 25वर्ष, रूबी 23वर्ष और सबसे छोटी जेबा 22वर्ष के साथ दूसरे मंजिल पर किराए का कमरा लेकर रहती है। बताया जा रहा है कि वह माकान काफी पुराना एवं जर्जर हो चुका है। मंगलवार की रात सभी भोजन करके सो गए। रात में शुरू हुई तेज बारिश की वजह से उसकी छत ढह गई। जिससे सभी मलवे में दब गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे और मामले में दबी कमर जहां और उसकी बेटियों को बचाने के प्रयास करने लगे और पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को दी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी एनडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि लोगों कमर जहां और उसकी तीनों बेटियों को मलवे से बाहर निकाल लिया और सभी को उपचार कराने के लिए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय ले गए। जहां चिकित्सकों ने 22वर्षीय जेबा को मृत घोषित कर दिया और 25वर्षीय सभा एवं 23वर्षीय रूबी तथा कमर जहां का उपचार शुरू कर दिया। मृतिका जेबा के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार की रात लगभग साढ़े बारह बजे एक घर की छत गिरने से एक युवती की मौत हुई है। महिला समेत तीन लोगों का उपचार जारी है।

मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालती एनडीआरएफ की टीम

मानसिक तनाव में युवक ने फांसी लगाकर दी जान

प्रयागराज। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के बैंक रोड के एक युवक ने मंगलवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह मानसिक तनाव से परेशान था। बुधवार की सुबह घटना की जानकारी होते ही परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। शहर के कर्नलगंज बैंक रोड निवासी दीपांकर कष्यप (36वर्ष) पुत्र रामचन्द्र कश्यप अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि सम्पति के बंटवारे को लेकर भाईयों से विवाद चल रहा है। जिससे वह दो वर्ष से परेशान था और मानसिक रूप से तनाव में रहता था। परिवार के लोग उसका उपचार एक चिकित्सक से करा रहे थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में सोने चले गए। वह भी अपने कमरे में चला गया। बुधवार की सुबह जब उसकी मां उठी तो बेटे को किचन के अन्दर फांसी के फंदे पर लटका देखा तो शोर मचाया। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। कर्नलगंज प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मृतक की मां ने बताया कि वह दो वर्ष से तनाव में था। घर की सम्पत्ति को लेकर भाईयों से चल रहे विवाद की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया। उसका एक निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा था। रात में उसने कब फांसी लगाली यह जानकारी नहीं हो पाई। सुबह किचन में जाने के बाद पता घटना की जानकारी हुई है।

ग्राम प्रधान अपनी ग्राम सभाओं में पराली न जलाने के लिए लोगो को करें जागरूक

प्रयागराज। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने ग्राम प्रधानों से कहा है कि वर्तमान खरीफ सत्र में बोई गयी धान/गन्ना फसलों की कटाई से पूर्व ही यह सुनिश्चित कर ले कि आपके ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामों में इन फसलों के फसल अवशेष न जलाये जाये। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से कहा है कि वे अपनी ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों में ग्राम पंचायत सदस्यों की साधारण बैठक 30 सितम्बर, 2020 तक अनिवार्य रूप से कर ले। बैठक में ग्राम पंचायत के जन-साधारण को फसल अवशेष न जलाये जाने हेतु जागरूक करे तथा अवशेष जलाये जाने से भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी भी लोगो को दें। लोगो को यह भी अवगत कराये कि यदि उनके द्वारा इस तरह का आपराधिक कृत्य किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली, कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी), आत्मा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत बी0टी0एम0, ए0टी0एम0, गन्ना विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक, राजस्व विभाग के लेखपाल व पंचायती राज के ग्राम पंचायत अधिकारी को आमंत्रित किये जाने के लिए कहा है। सभी ग्राम स्तरीय लोक सेवक बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सभी सदस्यों को पराली जलाये जाने से होने वाले प्रदूषण, भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दे। उन्होंने ग्राम पंचायत के इसी स्थल पर फसल अवशेष जलाये जाने के अपराध में सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली, कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधानों का विवरण पंचायत कर व्यय से दीवार पर पेन्ट कराने के लिए कहा है, जिससे कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य विधिक प्रावधानों से अवगत हो सके।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण की धारा- 24 एवं 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है, पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दण्ड के प्रावधान के अनुसार 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2500 रू प्रति घटना, 02 एकड़ से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए 5000 रू प्रति घटना, 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15000 रू प्रति घटना अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि इसके बावजूद यदि ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति के द्वारा फसल अवशेष जलाये जाने की घटना को घटित किया जाता है तो ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि आप सम्बन्धित लेखपाल को सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध लिखित में अवगत करायेगें। राजस्व लेखपाल का दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित थाने में अपराध करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी अंकित कराये तथा क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी को लिखित में सूचित करेंगें। फसल अवशेष जलाये जाने की घटना घटित होने पर यदि ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छिपाया जाता है अथवा उच्चाधिकारियों को अवगत कराये जाने में शिथिलता अपनायी जाती है तो यह अवधारित किया जायेगा कि फसल अवशेष जलाये जाने की घटना का अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान की दुरभि-सन्धि व संलिप्तता है, तदोपरान्त बाध्य होकर सम्बन्धित ग्राम प्रधान का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर अपराध में सह-अभियुक्त बनाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जन प्रतिनिधि होने के फलस्वरूप उपरोक्त आपराधिक कृत्य को रोकने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित न्याधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी प्रकिया में ग्राम प्रधानगण आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

छात्राओं की शिक्षा के क्लब ने की मदद

प्रयागराज। इनरव्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट की ओर से छात्राओं की मदद की गई। क्लब की सदस्य गीता कौरा की ओर से क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा को चार हजार रुपये भेंट किये गए। विनीता अरोरा ने बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा को 1850 रुपये भेंट किये। ऋतु अरोरा ने इलाहाबाद पब्लिक स्कूल मे पढ़ने वाली नौवीं की छात्रा को फीस और किताबों के लिए 4000 की आर्थिक मदद की। अंशू अरोरा ने भी एक छात्रा को उसकी फीस और किताबों के लिए 4000 रुपये की आर्थिक मदद की। संयोजन प्रतिमा श्रीवास्तव ने किया। रत्ना जायसवाल, सरिता खुराना मौजूद रहीं।

सिविल लाइंस उद्योग व्यापार मंडल का हुआ स्वागत

विधायक हर्षवर्धन ने वाहन पार्किंग समस्याओं पर दिया आश्वासन

प्रयागराज। सिविल लाइन उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारियों का बुधवार को सुभाष चैराहे स्थित कार्यालय पर स्वागत किया गया। शहर उत्तरी विधायक ने व्यापारियों को वाहन पार्किंग की समस्याओं के लिए आश्वासन दिया।

यह जानकारी मीडिया प्रभारी विक्रांत शुक्ला ने देते हुए बताया कि शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेई ने सिविल लाइंस के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि व्यापारियों को जिस तरह से सड़कों पर वाहन पार्किंग को लेकर तमाम समस्याएं झेलनी पड़ती हैं उन सारी चीजों पर विधानसभा में आवाज उठाकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा।

इस दौरान अध्यक्ष नीरज जायसवाल, महामंत्री अमित कुमार सिंह उर्फ बबलू, कोषाध्यक्ष अनिल गुप्ता, उपाध्यक्ष विशाल कनौजिया, आशुतोष सिंह, जे.एस बिरदी, विधि सलाहकार अवधेश राय, पंकज चैधरी, चंद्रा स्कैनिंग प्रवीण श्रीवास्तव, पंकज जायसवाल, आशीष जायसवाल, अरविंद यादव, आलोक गुप्ता, बच्चन केशरवानी आदि व्यापारियों को फूलों का गुलदस्ता दिया गया।

सिविल लाइन उद्योग व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारीगण

अधेड़ को जमकर पीटा, घायल

नैनी। कोतवाली क्षेत्र के चक तेजऊ दीक्षित गांव में बुधवार को कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर एक अधेड़ समेत महिलाओं की जमकर पिटाई कर दिए। जिससे अधेड़ घायल हो गया। तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ नैनी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक मुकेश कुशवाहा पुत्र राम अधार कुशवाहा के पिता बुधवार सुबह लगभग 9:30 बजे घर के बाहर घूम रहे थे। तभी वहीं के रहने वाले चिंतामणि कुशवाहा, शिवमणि कुशवाहा, नीरज कुशवाहा व सूरज कुशवाहा पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी करने लगे।बात आगे बढ़ी तो सभी ने सरिया, धारदार हथियार व लाठी डंडे से हमला बोल दिए। शोरगुल की आवाज सुन जब घर की महिलाएं बीच-बचाव करने पहुंची तो आरोप है कि उनके साथ अभद्रता करते हुए उन लोगों की भी पिटाई कर दी गई। घायल अधेड़ के पुत्र मुकेश कुमार कुशवाहा की तहरीर के आधार पर उक्त आरोपियों के खिलाफ नैनी कोतवाली में विभिन्न धाराओं में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

तीन दिन से गायब युवक का शव नहर में मिला

प्रयागराज। सोरांव थाना क्षेत्र के होलागढ़ मोड़ के समीप बुधवार की सुबह नहर में युवक का शव पाया गया। पुलिस की सक्रियता से उसकी पहचान हुई तो पता चला वह तीन से गायब था। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या की गई है।

प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र निवासी अजीत कुमार (22 वर्ष) पुत्र रमेश चन्द्र यादव तीन भाई और तीन बहनों में सबसे छोटा था। अपना खर्च चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि 20सितम्बर की शाम वगैर बताए निकला और वापस नहीं लौटा। देर होती देख परिवार के लोग उसकी खोजबीन करने लगे। बुधवार की सुबह परिवार के लोग गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने जाने वाले थे। इसी बीच सोरांव थाने की पुलिस ने सूचना दी कि एक युवक का शव पाया गया है। उसके जेब से एक मोबाइल मिला है। जिससे आप लोगों को सूचना दी जा रही है। खबर मिलते ही परिवार लोग सोरांव थाने पहुंचे और दोपहर बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तथा उसकी शिनाख्त किया। परिजनों ने आशंका जताई है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को अन्तिम संस्कार के लिए सौंप दिया।

जराही गांव में सार्वजनिक शौचालय निर्माण को लेकर चल रहे विवाद को उप जिलाधिकारी ने सुलझाया

हंडिया। हंडिया तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा जराही में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच काफी दिनों से तनातनी का माहौल था।जिसको लेकर ग्राम प्रधान द्वारा उप जिलाधिकारी हंड़िया को लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।जिस को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी हंडिया सुभाष चंद यादव राजस्व टीम व भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण के बाद विवादित स्थान को बदलकर विवाद रहित जमीन को चिन्हित किया जिस पर शौचालय का निर्माण शुरू किया गया।

आपको बता दें कि जराही ग्राम सभा में रकबा नंबर 880 जो कि नवीन परती की 14 बिस्वा की जमीन है उस पर कुछ ग्रामीणों का पिछले कई वर्षों से कब्जा है और उसी जमीन पर ग्रामीणों का छप्पर और गाय भैंस बांधते हैं। प्रधान उसी रकबा पर शौचालय का निर्माण कराना चाहते हैं लेकिन उप जिलाधिकारी ने विवाद को देखते हुए विवाद रहित जमीन चिन्हित करके वहां शौचालय निर्माण का आश्वासन देकर चले गए। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उपजिलाधिकारी के चले जाने के बाद ग्राम प्रधान के द्वारा दबंगई दिखाते हुए जेसीबी के माध्यम से ग्रामीणों का छप्पर और जो भी कुछ सामग्री थी उसको उजाड़ दिया गया और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रशासन यह सब कुछ मौन होकर देखती रही और प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए उनका आशियाना उजाड़ दिया।

आज तय होगा संगम तट पर लगने वाले माघ मेला-2021 का खाका

प्रयागराज। माघ मेला 2021 की तैयारियां शुरू हो गई है। बीते दिनों उपमुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों से खाका तैयार करने के लिए कहा है। बुधवार को संबंधित अधिकारी योजना तैयार करते रहे। इसे गुरुवार को मुख्य सचिव के साथ होने वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग में साझा किया जाएगा। इसके बाद मेले के लिए धन की मांग की जाएगी।

कोरोना संक्रमण के चलते 2021 में 14 जनवरी से 11 मार्च तक प्रस्तावित माघ मेले पर संशय था। हालांकि लखनऊ में मिलने गए संतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ने केशव मौर्या ने आश्वस्त कर दिया था कि सदियों पुरानी परंपरा खंडित नहीं होने दी जाएगी। प्रयागराज प्रवास में उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप तैयारी की जाए। इसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। मंगलवार रात जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने लोक निर्माण विभाग, जल निगम, विद्युत वितरण निगम, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, रोडवेज, रेलवे, पुलिस से जुड़े अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और खाका तैयार करने का निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। इसके बाद बुधवार को विभागों के जिम्मेदार खाका खींचते रहे। पिछले साल माघ मेला 750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसाया गया था। इसे पांच सेक्टर में बांट कर कल्पवासियों, संतों और संस्थाओं को बसाया गया था।

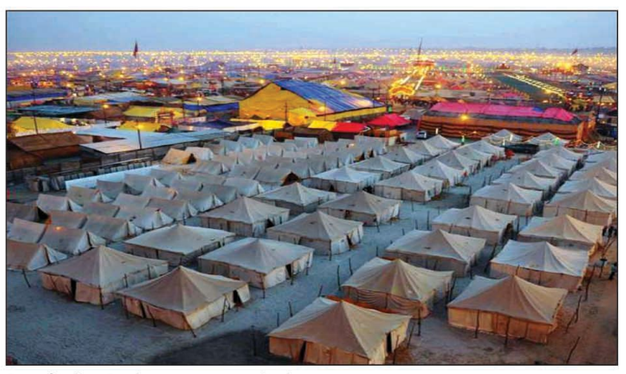

आसार यही हैं कि इस बार जगह पहले से ज्यादा हो सकती है लेकिन संस्थाओं की संख्या कम रहेगी। मेला अधिकारी रजनीश मिश्रा ने बताया कि तैयारी में लगे विभागों के अधिकारी गुरुवार दोपहर करीब एक बजे मुख्य सचिव के साथ होने वाली वीडियो कांफ्रेंसिंग में योजना प्रस्तुत करेंगे। फिर स्टीमेट भेजा जाएगा। धन स्वीकृति होते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।

माघ मेला 2020 में जिन ठेकेदारों ने काम किया था, उनका भुगतान अब तक नहीं हो सका है। इससे भी दिक्कत आ सकती है। करीब 44 करोड़ रुपया बकाया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ठेकेदार संघ के अध्यक्ष अनिल यादव, निलेश निषाद, मनीष महरा के अनुसार भुगतान नहीं होने की दशा में वह काम करा पाने की स्थिति में नहीं होंगे।

प्रयागराज गुरूवार, 24 सितम्बर, 2020

क्रियायोग सन्देश

क्रियायोग

सत्य और अहिंसा पर चलने की क्रिया

क्रियायोग सत्य व अहिंसा पर चलने की क्रिया है। किसी भी रचना के विषय में सत्य का ज्ञान न प्राप्त व करने का प्रयत्न न करना, हिंसा है। सत्य की अनुभूति सर्वप्रथम अपने निकटतम क्षेत्र पैर की उंगली से सिर तक स्वरूप में होती है। क्रियायोग साधना के द्वारा साधक अपने मौलिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे अनुभव हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप अनंत व सर्वव्यापी है। जिसे श्रीमद्भागवत गीता में विश्व रूप दर्शन के रूप में स्पष्ट किया गया है। पैर की उंगली से सिर तक स्वरूप को सीमित रूप, रंग आकार, प्रकार व वजन आदि के रूप में अनुभव करना असत्य की अनुभूति है, जिसे माया-अविद्या-अज्ञान कहा गया है। क्रियायोग साधना के द्वारा शरीर व मन के बीच दूरी शून्य होने पर माया का लोप हो जाता है और मनुष्य सत्य के परम प्रकाश से आलोकित हो उठता है, ऐसी अवस्था में उसे अनुभव हो जाता है कि केवल उसका स्वरूप ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की समस्त रचनाएं अनंत, सर्वव्यापी, अमर व पूर्ण अस्तित्व है। किसी भी रचना का विनाश नहीं होता है। जिस प्रकार पानी को गर्म करने पर पानी भाप के रूप में, ठंडा करने पर बर्फ के रूप में बदल जाता है परंतु पानी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है ठीक उसी प्रकार समस्त रचनाएं सूक्ष्म से स्थूल तथा स्थूल से सूक्ष्म रूप में रूपांतरित होती रहती है। इस सत्य की अनुभूति करना अमरता की अनुभूति करना है तथा इसी को अहिंसा कहा गया है।

File Photo

Kriyayoga is Journey on The Path of Truth and Non-violence

What is violence?

Violence is the state in which we are not trying to know and are unable to realize Ultimate Truth regarding any creation. The fastest way to perceive Truth is in the place closest to us - our visible structure head to toes. With the practice of Kriyayoga, the practitioner realizes their true nature and perceives nature of self to be Infinite and Omnipresent. In the Bhagavad Gita, this state is described as "Vishwaroop Darshan". If we perceive our form to be of a limited colour, size, shape, height and weight etc. , we are having perception of non-reality. This is known as illusion (Maya) and ignorance (Avidya).

With the practice of Kriyayoga, the distance between mind and body is reduced to zero. At this stage, one overcomes the effect of Maya and is uplifted with Divine illumination. Then, one realizes that not only self, but all creations of Cosmos are existence of Bliss, Omnipresence, Immortality and are Perfect and Complete. No creation is ever destroyed. When water boils, it is converted to vapour and when cooled, it becomes ice. In the same way, our form transforms from subtle to gross and vice versa. To perceive this Truth is to perceive Immortality and this is the perception of Non-violence (Ahimsa).

File Photo